उत्तराखण्ड शासन

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास

पूर्व सैनिकों/विधवाओं एवं आश्रितों के कल्याणार्थ संचालित योजनायें

विक्टोरिया क्रास, परमवीर चक्र तथा अशोक चक्र धारक

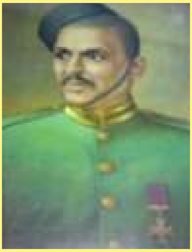

नायक दरवान सिंह
विक्टोरिया क्रास

आनरेरी कप्तान गजे सिंह घाले
विक्टोरिया क्रास

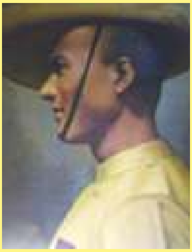

रा. मै. गबर सिंह
विक्टोरिया क्रास (मरणोपरान्त)

ले. कर्नल डी एस थापा
(परमवीर चक्र)

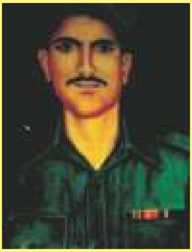

नायक भवानी दत्त जोशी
अशोक चक्र (मरणोपरान्त)

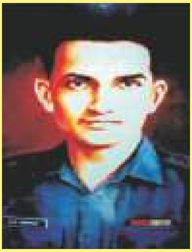

कप्तान उमेद सिंह
अशोक चक्र (मरणोपरान्त)

हवलदार गजेन्द्र सिंह बिष्ट
अशोक चक्र (मरणोपरान्त)

हवलदार बहादुर सिंह बोहरा
अशोक चक्र (मरणोपरान्त)

नायक मोहन गोस्वामी
अशोक चक्र (मरणोपरान्त)

अमर शहीदों को शत्-शत् नमन

**उत्तराखण्ड़ में सैन्य सेवा एक गौरवमयी परम्परा है,
न कि मात्र जीवन निर्वाह का साधन।**

विवरणिका

1. पंजीकृत पूर्व सैनिक एवं विधवायें:

(01 जून 2026 तक पंजीकृत)

(क)	पूर्व सैनिक	1,42,549
(ख)	विधवायें (1000 जीवित युद्ध विधवाओं सहित)	52,032
	कुल योग	**1,94,581**

2. पंजीकृत पूर्व सैनिक एवं विधवाओं का जिलेवार विवरण

क्र. स.	सैनिक कल्याण	पूर्व सैनिक				विधवायें				कुल योग
		सेना	वायु सेना	नौ सेना	कुल योग	सेना	वायु सेना	नौ सेना	कुल योग	
क.	अल्मोड़ा	9017	259	173	9449	4896	42	51	4989	14438
ख.	बागेश्वर	7811	80	60	7951	4024	21	19	4064	12015
ग.	चमोली	11024	88	38	11150	5164	12	10	5186	16336
घ.	चम्पावत	3661	38	33	3732	1421	6	8	1435	5167
च.	देहरादून	22619	1601	1658	25878	4778	93	131	5002	30880
छ.	हरर्बटपुर	4743	128	138	5009	803	15	16	834	5843
ज.	हरिद्वार	4966	153	423	5542	1180	8	46	1234	6776
झ.	लैन्सडौन	14463	391	246	15100	5557	42	36	5635	20735
ट.	पौड़ी	6517	92	116	6725	3327	17	31	3375	10100
ठ.	नैनीताल	13387	404	489	14280	4032	113	97	4242	18522
ड.	पिथौरागढ़	9336	158	128	9622	4720	18	16	4754	14376
ढ.	डीडीहाट	8553	69	20	8642	4097	14	11	4122	12764
त.	रुद्रप्रयाग	3603	16	18	3637	1752	3	2	1757	5394
थ.	टिहरी	5178	47	52	5277	2204	5	8	2217	7494
द.	उधमसिंहनगर	8995	134	169	9298	2861	12	22	2895	12193
ध.	उत्तरकाशी	1229	8	20	1257	287	0	4	291	1548
कुल योग		**135102**	**3666**	**3781**	**142549**	**51103**	**421**	**508**	**52032**	**194581**

3. द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक (पेन्शन न पाने वाले) एवं उनकी विधवायें :

(क)	पूर्व सैनिक	01
(ख)	विधवायें	380
	कुल योग	**381**

4. सशस्त्र सेनाओं में सेवारत सैनिक – 93000 (लगभग)

5. प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत होने वाले सैनिक – 3700 (लगभग)

6. वीरता एवं गैर वीरता पदक विजेता

क्र.सं	**पदक**	**संख्या**
स्वतन्त्रता पूर्व		
1.	विक्टोरिया क्रॉस	03
2.	मिलिट्री क्रॉस	25
3.	इण्डियन ऑर्डर ऑफ मैरिट	53
4.	इण्डियन डिस्टिंग्विस्ड सर्विस मेडल	89
5.	मिलिट्री मेडल	44
6.	मेन्शन-इन-डिस्पैच	150
	कुल योग	**364**
स्वतन्त्रता पश्चात		
7.	परमवीर चक्र	01
8.	अशोक चक्र	06
9.	महावीर चक्र	14
10.	कीर्ति चक्र	34
11.	उत्तम युद्ध सेवा मेडल	04
12.	वीर चक्र	106
13.	शौर्य चक्र	190
14.	युद्ध सेवा मेडल	45
15.	सेना/नौसैना/वायु मैडल (वीरता)	917
16.	मैन्शन-इन-डिस्पेच	252
17.	सेना मेडल (उत्कृष्ट सेवा)	63
18.	परम विशिष्ट सेवा मेडल	53
19.	अति विशिष्ट सेवा मेडल	76
20.	विशिष्ट सेवा मेडल	169
	कुल योग	**1930**

राज्य सरकार द्वारा देय सुविधायें

1. **वीरता पुरुस्कारः** उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी गयी है। उत्तराखण्ड राज्य अब देश में सबसे अधिक अनुदान राशि देने वाले राज्यों में एक बन गया है। वीरता पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली राशि का विवरण निम्नवत है :-

क्र.सं.	वीरता पदक	एकमुश्त	वार्षिकी
(क)	परमवीर चक्र	1,50,00,000	3,00,000
(ख)	अशोक चक्र	50,00,000	2,50,000
(ग)	महावीर चक्र	35,00,000	2,25,000
(घ)	कीर्ति चक्र	35,00,000	2,00,000
(च)	वीर चक्र	25,00,000	1,50,000
(छ)	शौर्य चक्र	25,00,000	1,00,000
(ज)	सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल	7,00,000	60,000
(झ)	उत्तम युद्ध सेवा मेडल	5,00,000	50,000
(ट)	युद्ध सेवा मेडल	4,00,000	40,000
(ठ)	सेना मेडल (वीरता)	15,00,000	50,000
(ड)	मेंशन-इन-डिस्पैच	10,00,000	25,000

2. **गैर वीरता पदक पुरस्कारः** गैर वीरता पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई है जो निम्नवत है :

क्र.सं.	वीरता पदक	एकमुश्त
(क)	परम विशिष्ट सेवा मेडल	2,00,000
(ख)	अति विशिष्ट सेवा मेडल	1,50,000
(ग	सेना मेडल (उत्कृष्ट सेवा)	1,00,000
(घ)	विशिष्ट सेवा मेडल	75,000

3. **राज्य परिवहन की बसों में निशुल्क यात्रा :** चक्र श्रृंखला के पदक धारक पूर्व सैनिकों तथा सैनिक वीरांगनाओं को राज्य परिवहन की बसों में निशुल्क यात्रा का प्रावधान है।

4. **द्वितीय विश्व युद्ध के नान-पेन्शनर सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं की पेंशन में वृद्धि :** द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को जिन्हें किसी भी अन्य स्रोत से आर्थिक सहायता प्राप्त न हो को ★₹ 10,000/-मासिक पेंन्शन अनुदान अनुमन्य है।

5. **उत्तराखण्ड शहीद कोष अनुदान :** विभिन्न युद्धों व सीमान्त झडपों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों व अर्द्ध सैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को एकमुश्त ★ ₹ 50,00,000/- अनुदान दिनाँक 26 जुलाई 2024 से अनुमन्य है।

6 **आवासीय सहायता :** युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और युद्ध अपंगता के कारण सेवामुक्त हुए सैनिकों को आवासीय सहायता अनुदान ₹ 2,00,000/- दिया जा रहा है ।

7. **गृह कर में छूट :** उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न नगर निगमों/नगर पालिकाओं की सीमाओं में, स्वंय के मकान में निवास कर रहे सेवानिवृत्त हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाओं को गृहकर से मुक्त किया गया है ।

8. **स्टाम्प ड्यूटी में छूट :** सेवारत/पूर्व सैनिकों को ₹ 25 लाख तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट अनुमन्य कर दी गयी है।

9. **इंजीनियरिंग एवं मेडिकल शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति :** मुख्यमंत्री कारगिल शहीद परिवार सहायता कोश से ईजीनियरिंग हेतु ₹ 12,000/-, मेडिकल शिक्षा हेतु ★₹ 15,000/- तथा पीएचडी शिक्षा हेतु ₹ 10,000/- प्रतिवर्ष।

10. **उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत छात्र/छात्राएँ हेतु पुरुस्कार :** आई.आई.टी, आईएमए, एनआईटी, एनडीए तथा राज्य सरकार द्वारा प्रतिशिठत अन्य व्यवसायिक एवं तकनीकी संस्थानों के छात्र/छात्राएँ जो प्रदेश के स्थाई निवासी हैं, प्रत्येक को राज्य सरकार द्वारा ₹ 50,000/-का पुरुस्कार।

11. **उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत मेधावी छात्र/छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता :** प्रदेश के मेधावी छात्रों को संध लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं सैन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित समूह 'क' एवं 'ख' की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण 100 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षाओं/एस.एस.बी आदि द्वितीय चरण की परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग आदि के लिए विशेष आर्थिक सहायता के रुप में ₹ 50,000/- की धनराशि।

12. **शिक्षण संस्थानों में आरक्षण:**

जी.बी. पंत विश्वविद्यालय	05 प्रतिशत
राजकीय आई.टी.आई.	08 प्रतिशत
राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज	02 प्रतिशत
राजकीय पालिटेक्निक	03 प्रतिशत
एम.बी.ए.	02 प्रतिशत
एम.सी.ए.	02 प्रतिशत
बी.एड. (प्रवेश परीक्षा में)	05 प्रतिशत सीट तथा 15 कृपांक अतिरिक्त
एल.एल.बी. (प्रवेश परीक्षा में)	05 कृपांक अतिरिक्त
डीएलएड	05 प्रतिशत

रोजगार

13. **शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को राज्याधीन समूह 'ग' अथवा 'घ' की सेवाओं में नियुक्ति :** उत्तराखण्ड सरकार फहीद सैनिकों के परिवार के एक आश्रित को जिलाधिकारी कार्यालय में समूह 'ग' अथवा 'घ' के सृजित पदों एवं सम्बन्धित जनपद के अन्तर्गत राज्य सरकार के ऐसे अन्य विभाग/कार्यालयों जिनमें कनिष्ठ सहायक/ समूह 'घ' के रिक्त पद उपलब्ध हों, को अनुकम्पा के आधार पर सेवायोजन किया जायेगा।

14. **राज्य सरकार की सेवाओं में समूह 'ग' में आरक्षण :** पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में समूह 'ग' की रिक्तियों में 5 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है।

15. **उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) द्वारा पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों को रोज़गार :** उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड द्वारा पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों को योग्यतानुसार विभिन्न संस्थानों में सेवानियाजित किया जाता है।

प्रशिक्षण

16. **कम्प्यूटर प्रशिक्षण :** पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं तथा उनके आश्रितों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

17. **भर्ती पूर्व प्रशिक्षण :** कुमाऊँ मण्डल में अल्मोड़ा में पूर्व सैनिकों के पुत्रों को सेना/पुलिस बलों में भर्ती हेतु 8 सप्ताह का भर्ती पूर्व प्रशिक्षण वर्श में पाँच बार संचालित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान पूर्व सैनिकों के आश्रितों को रहने, यूनीफार्म तथा भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है।

शौर्य स्थल (सैन्य धाम) का निर्माण

18. जनपद देहरादून के गुनियाल गाँव में भव्य एवं आधुनिक सुविधाओं युक्त शौर्य स्थल (सैन्यधाम) का निर्माण किया गया है। शौर्य स्थल के मुख्य स्तम्भ के भू-गर्भ में प्रदेश के शहीदों के आंगन (घर)की मिट्टी तथा प्रदेश की समस्त पवित्र नदियों का जल प्रतिस्थापित किया गया है। शौर्य स्थल के युद्ध गैलरी में प्रदेश के समस्त शहीदों के नाम अंकित किये गये हैं। इस सैन्यधाम के पूर्ण होने पर यहाँ अत्याधुनिक युद्ध संग्रहालय, सभागार, खुला रंगमंच तथा विभिन्न सैन्य उपकरण आकर्शण के केन्द्र रहेगें।

शहीद सैनिकों की स्मृति में शहीद द्वार/स्मारक का निर्माण

19. प्रदेश में स्वतंत्रता के पश्चात् युद्ध, सीमांत झड़पों, आन्तरिक सुरक्षा अथवा दुश्मन/आतंकवादियो के विरूद्ध जंगी कार्यवाही में शहीद सशस्त्र बलों एवं अर्द्धसैनिक बलों के सैनिकों की स्मृति में शहीद द्वार/स्मारक बनाये जा रहे हैं। वर्ष 2024-2025 एवं 2026 में वर्तमान तक प्रदेश के 23 शहीदों की स्मृति में शहीद द्वार/स्मारक स्वीकृत किये गये हैं।

सैनिक विश्राम गृह

20. वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में 36 सैनिक विश्राम गृह संचालित है। राज्य सरकार द्वारा सैनिक विश्राम गृहों को आधुनिक तथा उच्चीकृत करने की कार्यवाही गतिमान है। सैनिक विश्राम गृहों की अधिक जानकारी https://sainikkalyan.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

उत्तराखण्ड पुलिस एवं आर्मड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा देय सुविधायें

1. **आर्थिक सहायता**

   (अ) युद्व में शहीद हुए सैनिकों को अनुग्रह अनुदान (अधिकारी के लिए ₹1.60 लाख एवं जे.सी.ओ./अन्य रैंक के लिए ₹ 1.00 लाख)।

   (ब) सेवामुक्त अपंग हुये सैनिकों को अनुग्रह अनुदान (अधिकारी ₹ 75 हजार, जे.सी.ओ. एवं अन्य रैंक ₹ 55 हजार)।

   (स) युद्ध विधवा/स्थायी रुप से युद्ध अपंग सेवामुक्त सैनिक की पुत्री के विवाह हेतु ₹ 30,000/- की आर्थिक सहायता। (केवल हवलदार रैंक तक के लिए अनुमन्य है)।

   (द) जीवन निर्वाह भत्ता एक मुश्त ₹ 11,000/- केवल हवलदार पद तक अनुमन्य है।

   (य) विशेष चिकित्सा (कैंसर, हृदय, मस्तिष्क रोग एवं प्लास्टिक सर्जरी) हेतु सरकारी अस्पताल/सेना अस्पताल/ एस.जी.पी.आई./एम्स/ आर्मी/कमांड अस्पताल में कराये गये उपचार पर हुए व्यय की 75 प्रतिशत तक राशि की प्रतिपूर्ति।

2. **वार्षिक शिक्षा अनुदानः** उत्तराखण्ड आर्मड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा युद्ध विधवा/स्थायी रुप से युद्ध अपंग सेवामुक्त सैनिकों के आश्रितों को निम्न शिक्षा अनुदान अनुमन्य हैः

   (अ) कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक ₹ 1000/-से ₹ 1800/-तक

   (ब) शोध कार्य हेतु ₹ 12000/-

   (स) उच्च शिक्षा के कोचिंग हेतु ₹ 2500/-

   (द) आई.टी.आई. हेतु ₹ 1800/-

   (य) सर्टिफिकेट/ड़िप्लोमा कोर्स हेतु ₹ 2200/-

   (र) डिग्री पाठ्यक्रम हेतु ₹ 3200/-

   (ल) एम.बी.बी.एस.,बी.टेक, एम टेक आदि कोर्स हेतु ₹ 5200/-

   (व) एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के कम्प्यूटर कोर्स हेतु ₹ 12000/-

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से मिलने वाली आर्थिक सहायता तथा सुविधायें

1. आर्थिक सहायता

क्र.स.	मद	धनराशि	टिप्पणी
(क)	सभी वर्ग के नान–पेंशनर्स पूर्व सैनिकों हेतु पैन्यूरी ग्रान्ट (65 वर्ष की आयु से अधिक)	₹ 8000/–प्रतिमाह (1 नवम्बर 2025 अनुमन्य से लागू KSB Letter No.199/ Welfare/ SOPs/ 2024-25 dated 31 Oct 2025)	नॉन–पेंशनर एवं हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के लिये
(ख)	मेडिकल ग्रान्ट (नान–ई.सी.एच.एस. मेम्बर हेतु)	₹ 50000/– अधिकतम (प्रतिवर्ष)	केवल हवलदार रैंक तक
(ग)	**विवाह हेतु अनुदानः** पूर्व सैनिकों एवं सैनिकों की विधवाओं की दो पुत्रियों के विवाह तथा विधवाओं के पुर्नविवाह हेतु अनुदान।	₹ 1,00,000/– (1 नवम्बर 2025 से लागू KSB Letter No.199/ Welfare/ SOPs/ 2024-25 dated 31 Oct 2025)	केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य
(घ)	**गृह निर्माण हेतुः** गृह निर्माण हेतु लिये गये ऋण पर अनुदान।	अधिकतम ₹ 1,00,000	युद्ध में शहीद के आश्रित युद्ध के दिव्यांग सैनिक सैन्य सेवा के दौरान दिव्यांग के लिन अनुमन्य
(च)	**शिक्षा अनुदान** (अ) स्नातक कक्षा तक पुत्र एवं पुत्रियों हेतु। (ब) विधवाओं हेतु स्नातकोत्तर कक्षा तक	₹ 2000/– प्रतिमाह ₹ 2000/– प्रतिमाह	केवल हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य (अ एवं ब को 01 नवम्बर 2025 से KSB Letter No.199/ Welfare/ SOPs/2024-25 dated 31 Oct 2025) प्रतिमाह
	(स) विधवा हेतु वोकेशनल प्रशिक्षण की प्रतिपूर्ति (केवल एक बार अनुमन्य)	₹ 50,000/– (अधिकतम)	

क्र.स.	मद	धनराशि	टिप्पणी
(छ)	**निराश्रित अनुदान (वार्षिकी):** (अ) सभी वर्गो के पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों हेतु अनुदान (पुत्रियों को विवाह होने तक तथा पुत्रों को 21 वर्ष की उम्र तक)। (ब) पूर्व सैनिक के 100 प्रतिशत विकलांग बच्चों हेतु अनुदान ।	₹ 3000/- प्रतिमाह ₹ 3000/- प्रतिमाह	सभी रैंक के पूर्व सैनिकों के लिये अनुमन्य।
(ज)	**प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना।** इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेन्टल, वेटरिनरी, एम.बी.ए., एम.सी.ए. फार्मा, नर्सिग, बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., यू.जी./पी.जी. फिजीयोथेरेपी व लॉ इत्यादि हेतु।	₹ 2500/- प्रतिमाह (लड़कों हेतु) ₹ 3000/- प्रतिमाह (लड़कियों हेतु)	अभ्यर्थी की अधिकतम अर्हता परीक्षा में 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
(झ)	**विशेष चिकित्सा सहायता।** नॉन-पेंशनर अधिकारी एवं अन्य वर्ग हेतु (हृदय, रोग, ज्वाइन्ट रिप्लेसमेन्ट) हेतु एकमुश्त अनुदान।	प्रथम वर्ष एकमुश्त ₹ 1,50,000/- तथा आगामी वर्षो में अधिकारी वर्ग हेतु 75 प्रतिशत तथा अन्य रैंक हेतु 90 प्रतिशत। अधिकतम	समस्त रैंक हेतु अनुमन्य।
(ट)	**मोबिलिटि इक्विमेन्ट सहायता** सेवा मुक्ति के बाद पचास प्रतिशत से अधिक (लोवर लिम्ब) की अपंगता के कारण चलने फिरने में असमर्थ पूर्व सैनिक को मोडिफाईट स्कूटर क्रय करने हेतु अनुदान	अधिकतम ₹ 1,00,000/-	समस्त रैंक हेतु अनुमन्य।

अन्य सुविधायें

2. रेल यात्रा में छूट :

(क) परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से अंलकृत सैनिकों व विधवाओं को द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित यान में मुफ्त रेल यात्रा। अब यह राजधानी व शताब्दी गाडियों मे भी मान्य।

(ख) कारगिल व आई.पी.के.एफ. के शहीद सैनिकों की विधवाओं को स्लीपर क्लास यान से यात्रा में 75 प्रतिशत छूट।

3. वायु यात्रा में छूटः

(क) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, विक्टोरिया क्रॉस, जार्ज क्रॉस, डिस्टिंगग्विश सर्विस क्रॅास, मिलिट्री कॉस, डिस्टिंगग्विश फलाईगं क्रॉस व जार्ज मेडल से अंलकृत सैनिकों व विधवाओं को 75 प्रतिशत की छूट।

(ख) युद्ध अपंग सेवामुक्त अधिकारी व आश्रित सदस्य को 50 प्रतिशत की छूट।

(ग) स्वतंत्रता पूर्व की युद्ध विधवाओं को 50 प्रतिशत की छूट।

4. टेलीफोन सुविधाः

पंजीकरण व स्थापना फ्शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट। निम्नलिखित वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों/ विधवाओं को साधारण किराये में पूरी छूट :-

(क) परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र

(ख) युद्ध विधवाएँ

(ग) युद्ध अपंग सैनिक

5. आई.आई.टी. में प्रवेशः

संयुक्त प्रवेश परीक्षा के उपरान्त मुम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रूड़की, बी.एच.यू., आई.आईटी. संस्थानों में प्रत्येक संस्थान में दो सीट में प्राथमिकता पर प्रवेश।

6. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. में प्रवेशः

वर्तमान में 30 सीटें एम.बी.बी.एस. व 1-3 (स्वाथ्य मंत्रालय द्वारा आबंटित सीटों के आधार पर) बी.डी.एस. में आश्रितों के लिये निम्नलिखित प्रार्थमिकता के आधार पर आरक्षित हैं:-

(क) युद्ध में शहीद ।

(ख) युद्ध अपंग एवं अपंगता के कारण सेवामुक्त।

(ग) सेवाकाल के दौरान सैन्य सेवा के कारण मृत्यु होने वाले सैनिक के आश्रित ।

(घ) सेवाकाल के दौरान अपंगता के कारण सेवामुक्त सैनिक के आश्रित ।

पूर्व सैनिकों हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण बेबसाईटस

उत्तराखण्ड सरकार	https://uk.gov.in/
सैनिक कल्याण उत्तराखण्ड	https://sainikkalyan.uk.gov.in
अपनी सरकार उत्तराखण्ड	https://eservices.uk.gov.in
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	https://upnl.co.in
आर्मी वैट्रन सेल	https://indianarmyveterans.gov.in
एयर फोर्स वैट्रन सेल	https:/iapensioners.gov.in
रक्षा मंत्रालय भारत सरकार	https://mod.gov.in
पूर्व सैनिक कल्याण विभाग	https://desw.gov.in
केन्द्रीय सैनिक बोर्ड	https://ksb.gov.in
पुनर्वास महानिदेशालय	https://dgrindia.gov.in
ईसीएचएस	https://echs.gov.in
स्पर्श ।(पी.सी.डी.ए.)	https://sparsh.diffencepension.gov.in
रक्षा पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली	https://rakshapension.desw.gov.in
वीरांगना सेवा केन्द्र (VSK) पैंशन सम्बन्धित	https://www.indianarmyveterans.gov.in

उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था द्वारा पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता/अनुदान

नोटः सभी सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगो के जे.सी.ओ. तथा समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों हेतु अनुमन्य हैं।

1. सामान्य छात्रवृत्ति।

क्र.सं.	शिक्षा	अंक प्रतिशत	बालक	बालिका
(क)	**सामान्य शिक्षा** कक्षा 11 व 12 हेतु स्नातक कक्षाओं हेतु स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु पी.एच.ड़ी., एम.फिल. हेतु।	पहाड़ी क्षेत्र हेतु 50 तथा मैदानी क्षेत्र हेतु 60 प्रतिशत	₹ 6,000/- ₹ 8000/- ₹ 10000/- ₹ 25000/-	₹ 8000/- ₹ 10000/- ₹ 12000/- ₹ 30000/-
(ख)	**तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा** **सर्टिफिकेट कोर्सः** फिटर, वैल्डर, टर्नर, इलैक्ट्रीशियन/ इलैक्ट्रॉनिक, वायरमैन, मैकेनिक, कटाई एवं सिलाई, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, पेन्टर, सर्वेयर, मोल्डर, हैन्डीक्राफ्ट एवं आफिस ऑटोमेशन, स्टेनोग्राफी, हिन्दी ट्रान्सलेटर, डी.ई.ओ. एवं सैक्रेट्रियल कोर्सेज।	60	₹ 8000/-	₹ 10000/-
(ग)	**डिप्लोमा कोर्सेजः** माडर्न आफिस मैनेजमैन्ट, इन्फार्मेशन टैक्नोलोजी, कम्प्यूटर नैटवर्किंग एवं कम्यूनीकेशन, पॉलीटैक्निक कोर्सेज, सैक्रेट्रियल कोर्सेज	65	₹ 10000/-	₹ 12000/-
(घ)	इंजीनियरिंग कोर्स हेतु।	70	₹50,000/-	₹50,000/-
(ड़)	मेडिकल कोर्स हेतु।	70	₹50,000/-	₹50,000/-

क्र.सं.	शिक्षा	अंक प्रतिशत	बालक	बालिका
(च)	**डिग्री कोर्सेज:** बीएड/बीपी.एड/ एमएड/ एमपीएड बी.एस.सी./ एम.एस.सी. (कृषि/ हार्टीकल्चर/ होम साइन्स), फौरेस्ट्री, हॉस्पीटेलिटी इन्डस्ट्री, फारमेसी, नर्सिंग कोर्सेज, वैटनरी, बी.फार्मा/डी. फार्मा/ एम. फार्मा, जर्नलिज्म, सी.ए., एल.एल.बी. एल.एल.एम.,बायोटेक्नोलोजी, फिजियोथैरेपी, फैशन डिजाइनिंग टैक्नोलोजी, बी.एच.एम. (सी.टी.)/ टूरिज्म/ट्रैवल, बी.बी.ए./एम.बी.ए., बी.सी.ए./एम.सी.ए., पी.जी.डी.एम.	70	₹ 30000/-	₹ 30000/-

2. **पूर्व सैनिकों के अनाथ तथा सैनिक विधवाओं के पात्रों हेतु छात्रवृत्ति:** पूर्व सैनिकों के अनाथ पुत्र/पुत्रियों तथा पूर्व सैनिक विधवाओं के पुत्र/पुत्रियों को कक्षा 1 से कक्षा 12 तक निम्नलिखित छात्रवृति अनुमन्य होगी बशर्ते कि उन्हें किसी अन्य संस्थानों से इस हेतु आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जा रही हो:-

कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अनाथ आश्रितों विधवाओं के आश्रितों	 33 50	₹ 12,000/-	₹ 15,000/-
कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक अनाथ आश्रितों विधवाओं के आश्रितों	 33 50	₹ 20,000/-	₹ 25,000/-

3. **मेधावी विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति:** पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं के मेधावी आश्रित जो केवल सामान्य शिक्षा में अव्वल हो को निम्नवत छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी जिससे इन छात्रों/छात्राओं का मनोबल बढे और अन्य छात्र/छात्राओं को भी प्रोत्साहन मिले :

कक्षा	बालक	बालिका
कक्षा 10 में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर कक्षा 11 व 12 के लिए (कक्षा 11 में भी 80 प्रतिशत अनिवार्य)	₹ 30,000/-	₹ 50,000/-
कक्षा 12 में 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर स्नातक कक्षाओं के लिए (स्नातक प्रथम व द्वितीय में भी 80 प्रतिशत अनिवार्य)	₹ 40,000/-	₹ 60,000/-
स्नातक में कुल 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर स्नात्कोत्तर कक्षाओं हेतु (स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में भी 70 प्रतिशत अनिवार्य)	₹ 50,000/-	₹ 70,000/-

4. **प्रोत्साहन अनुदानः** सैनिक स्कूल/मिलिट्री स्कूल एवं आरआईएमसी में अध्ययन/शिक्षण प्राप्त कर रहे पूर्व सैनिको एवं सैनिक विधवाओं के पात्रों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने पर कोचिंग व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एक मुश्त ₹ 30,000/– का प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जायेगा।

5. **कोचिंग व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदानः** एनडीए, आईएमए, ओटीए, एयर फोर्स अकादमी, नेवल अकादमी, सिविल सेवा, पीसीएस, एमबीबीएस, आईएचएम, आईआईटी, आईआईएम में चयन/संस्थान में प्रवेश करने पर पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के आश्रितों को कोचिंग व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु एक मुश्त को ₹ 50,000/– का अनुदान।

6. **युद्ध विकलांग पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण हेतु अनुदानः** राज्य के युद्ध विकलांग पूर्व सैनिकों को मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से रोजगारपरक तथा कौशल विकास परक कोर्स करने हेतु कुल व्यय अथवा ₹ 20,000/– जो भी कम हो का अनुदान ।

7. **पूर्व सैनिक आश्रितों के खेलों में चयन होने पर प्रोत्साहन अनुदानः** राज्य के पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं के बच्चों को खेलों के प्रति आकर्षित किये जाने हेतु प्रदेश, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में चयन होने पर निम्नवत् प्रोत्साहन राशि अनुमन्य :–

(अ) प्रदेश स्तर पर – ₹ एक लाख
(ब) राष्ट्रीय स्तर पर – ₹ दो लाख
(स) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर – ₹ चार लाख

8. **सेना, अर्द्धसैनिक बल, सी.पी.ओज. तथा राज्य पुलिस में चयन होने पर अनुदानः** सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित भर्ती पूर्व प्रशिक्षण से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त सेना, सीपीओज, अर्द्धसैनिक बल तथा राज्य पुलिस में चयन होने पर एक बार निम्नवत अनुदान अनुमन्य है :

(क) पुत्रियों को एकमुश्त ₹ 50,000
(ख) पुत्रों को एकमुश्त ₹ 40,000/–

9. **चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्तिः** सेना द्वारा पूर्व सैनिकों हेतु ''पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना'' चलाये जाने के उपरान्त यह योजना केवल पेंशन अनुमन्य नही होने वाले पूर्व सैनिक/सैनिक विधवाओं पर निम्नवत लागू है :–

(अ) सामान्य चिकित्सा। – ₹ 10,000/–
(ब) विशेष चिकित्सा। – कुल व्यय का अधिकतम 75 प्रतिशत या ₹ 1,00,000/– जो भी कम हो की आर्थिक सहायता दी जायेगी।

10. **पूर्व सैनिकों द्वारा पुनर्वास हेतु लिए गए ऋण में अनुदान:** पूर्व सैनिक/अधिकारी द्वारा अपने पुनर्वास हेतु लिए गए ऋण पर निम्न अनुदान देय है :-

(अ) ₹ 5,00,000/- तक के ऋण का 10 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य।

(ब) ₹ 5,00,000/- से ऊपर तथा ₹ 10,00,000/- लाख तक के ऋण पर पांच प्रतिशत अनुदान।

11. **पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों एवं पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता:** पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों/पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों (दो पुत्रियों तक) के विवाह हेतु ₹ 1,00,000/- की धनराशि का एकमुश्त अनुदान अनुमन्य।

12. **पूर्व सैनिकों की विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु अनुदान:** पूर्व सैनिक की विधवाओं के पुनर्विवाह करने पर ₹ 1,00,000/- की धनराशि पुनर्वास संस्था द्वारा आर्थिक सहायता के अन्तर्गत एकमुस्त प्रदान की जायेगी। यह धनराशि विधवा के नाम पर पांच वर्ष हेतु एफ.डी. के रूप में प्रदान की जाती है।

13. **पूर्व सैनिकों को व्हील चेयर की सहायता:** अपंग पूर्व सैनिकों को उनके आवेदन के आधार पर व्हील चेयर संस्था द्वारा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।

14. **पूर्व सैनिकों की विधवाओं को सिलाई/बुनाई मशीन की सहायता:** पूर्व सैनिकों की विधवाओं को स्वरोजगार हेतु सिलाई मशीन क्रय करने के लिए ₹ 3,000/- एवं बुनाई मशीन क्रय करने के लिए ₹ 3,500/- का अनुदान अनुमन्य।

15. **दैवीय आपदा अनुदान:** पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं को दैवी आपदा के 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर, आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु एकमुश्त ₹ 50,000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है, बशर्ते उन्हें किसी अन्य श्रोतों से उक्त आपदा हेतु कोई आर्थिक सहायता प्राप्त न हुई हो।

16. **अन्य सहायता:** सैनिक पुनर्वास संस्था, उत्तराखण्ड द्वारा जो भी प्रदेश निवासी अपंग पूर्व सैनिक या उनकी पत्नियाँ, भारत सरकार के संरक्षण में पुनर्वास हेतु चलाये जाने वाली संस्थाओं में प्रशिक्षण, स्वास्थ्य लाभ या पूर्ण रूप से वही वास कर रहे हो को, भरण पोषण हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रतिवर्ष ₹ 2,00,000 प्रति पात्र अनुदान प्रदान किया जाता है:

17. **जिला सैनिक कल्याण परिषद बैठक हेतु धनराशि:** पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं के समाधान हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला

सैनिक कल्याण परिषद की बैठकों के आयोजन हेतु ₹ 5,000 प्रति बैठक की धनराशि अनुमन्य है।

18. **जे.सी.ओ. रैंक तक के नॉन पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों/विधवाओं को आकस्मिकता अनुदानः** 65 वर्ष से कम आयु के जे.सी.ओ. रैंक तक के नॉन पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों/विधवाओं को देय प्रतिवर्ष ₹ 25,000/– का आकस्मिकता अनुदान ।

19. **प्रदेश के पूर्ण रुप से दृष्टिहीन पूर्व सैनिकों को आर्थिक सहायताः** राज्य के दृष्टिहीन पूर्व सैनिकों को प्रतिवर्ष ₹ 2,00,000/– प्रति पात्र प्रति वर्ष का अनुदान।

20. **राज्य के निवासी सेना के तीनों अंगों के जे.सी.ओ. रैंक तक के शहीद सैनिकों के आश्रितों को धनराशि ₹ 10 लाख का अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में:** राज्य के विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगो के जे.सी.ओ. तथा समकक्ष रैंक तक के शहीद सैनिकों के आश्रितों को सैनिक पुनर्वास संस्था द्वारा राज्य सरकार से देय अनुग्रह अनुदान के अतिरिक्त धनराशि ₹10 लाख का अनुदान।

21. **पूर्व सैनिकों की मृत्यु पर अन्तिम संस्कार अनुदानः** तीनों अंगो के जे.सी.ओ. तथा समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अन्तिम संस्कार हेतु अनुदान ₹ 10,000/– का अन्तिम संस्कार अनुदान।

22. **विशेष बच्चों के लिए मासिक रखरखाव अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में:** पूर्व सैनिक के 75 से 99 प्रतिशत तक के दिव्यांग आश्रितों को ₹ 25,000/– प्रति वर्ष का अनुदान ।

23. **विधवाओं को स्व–रोज़गार हेतु व्यापार उपकरण खरीदने हेतु अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में:** पूर्व सैनिक विधवायें जो स्वरोजगार उद्यम लगाना चाह रहे है को सम्बन्धित उपकरण विक्रेता के माध्यम से ₹ 50,000/– तक के उपकरण क्रय किये जाने हेतु अनुदान।

24. **विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में:** पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा जारी नियुक्तियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे यू.पी.एस.सी., पी.सी.एस., यूके.एस.एस.सी के लिये कोचिंग करने हेतु ₹ 20,000/– का प्रोत्साहन अनुदान।

25. **फ़िज़िकल कैजुअल्टी Physical Casualty (Fatal) सैनिकों के आश्रितों को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में:** Physical Casualty (Fatal) होने वाले सैनिकों के आश्रितों को ₹ 1,00,000/– का अनुदान ।

उत्तराखण्ड में संचालित सैनिक विश्राम गृहों की सूची

क्र.सं.	सैनिक विश्राम गृह एवं पता	दूरभाष नं.	ई-मेल
1.	सैनिक विश्राम गृह, अल्मोड़ा	05962-230246	zskalmora-uk@nic.in
2.	सैनिक विश्राम गृह, चौखुटिया, अल्मोडा		
3.	सैनिक विश्राम गृह, बागेश्वर	05963-220961	zskbageshwar-uk@nic.in
4.	सैनिक विश्राम गृह, चम्पावत	05965-230893	zskchampawat-uk@nic.in
5.	सैनिक विश्राम गृह टनकपुर, चम्पावत		
6.	सैनिक विश्राम गृह, चमोली	01372-252195	zskchamoli-uk@nic.in
7.	सैनिक विश्राम गृह, गोपेश्वर, चमोली		
8.	सैनिक विश्राम गृह, गोचर, चमोली		
9.	सैनिक विश्राम गृह, देहरादून	0135-2720179	zskdehradun-uk@nic.in
10.	सैनिक विश्राम गृह ;शिकेष, देहरादून		
11.	राज्य स्तरीय सैनिक विश्राम गृह, देहरादून		
12.	सैनिक विश्राम गृह, हरिद्वार	01334-250916	zskharidwar-uk@nic.in
13.	सैनिक विश्राम गृह रुडकी, हरिद्वार		
14.	सैनिक विश्राम गृह हल्द्वानी, नैनीताल	05946-221614	zsknanital-uk@nic.in
15.	सैनिक विश्राम गृह रामनगर, नैनीताल		
16.	सैनिक विश्राम गृह पौडी	01368-222335	zskpauri-uk@nic.in
17.	सैनिक विश्राम गृह श्रीनगर, पौडी		
18.	सैनिक विश्राम गृह लैन्सडौन, पौडी	01386-262365	zsklansdowne-uk@nic.in
19.	सैनिक विश्राम गृह धुमाकोट, पौडी		
20.	सैनिक विश्राम गृह कोटद्वार, पौडी		
21.	सैनिक विश्राम गृह थलीसैण, पौडी		
22.	सैनिक विश्राम गृह, पिथौरागढ़	05964-224185	zskpithoragarh-uk@nic.in
23.	सैनिक विश्राम गृह डीडीहाट, पिथौरागढ़		
24.	सैनिक विश्राम गृह देवलथल, पिथौरागढ़		
25.	सैनिक विश्राम गृह बेरीनाग, पिथौरागढ़		
26.	सैनिक विश्राम गृह मुनस्यारी, पिथौरागढ़		
27	सैनिक विश्राम गृह, रुद्रप्रयाग	01364-233584	zskrudraprayag-uk@nic.in
28.	सैनिक विश्राम गृह, उखीमठ, रुद्रप्रयाग		
29.	सैनिक विश्राम गृह, जखोली, रुद्रप्रयाग		
30.	सैनिक विश्राम गृह, टिहरी	01376-232320	zsktehri-uk@nic.in
31.	सैनिक विश्राम गृह, नरेन्द्र नगर, टिहरी		
32.	सैनिक विश्राम गृह, घनसाली, टिहरी		
33.	सैनिक विश्राम गृह, जामणीखाल, टिहरी		
34.	सैनिक विश्राम गृह, उत्तरकाशी	01374-222417	zskuttarkashi-uk@nic.in
35.	सैनिक विश्राम गृह, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर	05944-250375	zskusnagar-uk@nic.in
36.	सैनिक विश्राम गृह, खटीमा, उधमसिंह नगर		

राज्य सैनिक बोर्ड, उत्तराखण्ड

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
15-सी, कालीदास रोड, हाथीबड़कला, देहरादून -248 001
फैक्स: 0135-2743773, फोन: 0135-2741481
वैबसाईट : https://sainikkalyan.uk.gov.in, ईमेल: dir-soldierwell-uk@nic.in
फेसबुक: निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
इंस्टाग्राम: dskeputtarakhand, ट्वीटर: @skeputtarakhand

योजनाओं की ई-बुक प्राप्त करने हेतु स्कैन करें।